भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 160

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>राजस्थान में प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)</u>

160. श्री राजकुमार रोतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर-बांसवाडा और प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के पात्र किसानों को पीएम-कुसुम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपना हिस्सा जमा कराने के बावजूद इसके अंतर्गत लाभों से वंचित रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त महाभियान के अंतर्गत केवल दो प्रतिशत से भी कम किसानों को लाभ हुआ है और यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब किसानों को पीएम-कुसुम के अंतर्गत राजसहायता के रूप में संपूर्ण लागत प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस महाभियान के लाभ प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 160 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पीएम-कुसुम एक मांग-आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। लाभार्थियों के चयन सहित कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) की है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, बांसवाड़ा लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत डुंगरपुर-बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के लिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या निम्नानुसार है:

पीएम कुसुम घटक	**बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पीएम कुसुम के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी**	**वित्त वर्ष 24-25 के दौरान आवेदन करने वाले किसान**	**स्थापित/सौरीकृत पंप**
ख (पंपों की संख्या)	उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार	22,112	601
ग (आईपीएस) (पंपों की संख्या)	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)	-	308

(ख) जी नहीं, श्रीमान। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने सूचित किया है कि बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में सभी इच्छुक एवं पात्र किसान जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया है तथा अपना किसान हिस्सा जमा किया है, उन्हें पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है।

(ग) जैसा कि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने सूचित किया है दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार पीएम कुसुम योजना में कुल स्वीकृत 49 लाख पंपों में से कृषि पंपों की स्थापना/सौरीकरण के माध्यम से पहले से ही लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 14,39,060 है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित सभी पात्र आवेदनों को केंद्रीय वितीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। पीएम कुसुम के अंतर्गत प्रदान की गई सीएफए का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ङ) योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और योजना में लाभार्थियों की भागीदारी के उद्देश्य से, एमएनआरई गहन सूचना, शिक्षा एवं जन-संपर्क तथा आउटरीच कार्यकलाप आयोजित कर रहा है। पीएम कुसुम के कार्यान्वयन के लिए आयोजित की गई कुछ क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और जन जागरूकता कार्यक्रमों की सूची इस प्रकार है:

- मुंबई में बैंकर्स कॉन्क्लेव - मई 2024
- बेंगलुरू में पीएम-कुसुम पर राष्ट्रीय कार्यशाला - जून 2024
- देश भर में केवीके के माध्यम से 100 क्षमता निर्माण कार्यशालाएं - जुलाई से दिसंबर 24
- चिंतन शिवर 2024 - नवम्बर 2024
- गोवा में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विदाई समारोह - दिसंबर 2024
- मुंबई में आरई पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं - जनवरी 2025
- **जयपुर में आरई पर क्षेत्रीय बैठक-जनवरी 2025**
- मुंबई में बैंकर्स कॉन्क्लेव - फरवरी 2025
- विशाखापत्तनम में अक्षय ऊर्जा पर क्षेत्रीय बैठक - जून 2025

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सहयोगात्मक तरीके से आईईसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 160 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(दिनांक 30.06.2025की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**घटक-क के अंतर्गत स्थापित सौर संयंत्रों की संख्या**	**घटक ख और ग के अंतर्गत पंपों की स्थापना/सौरीकरण के माध्यम से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	0	577
2	छत्तीसगढ	9	0
3	गोवा	0	800
4	गुजरात	0	195541
5	हरियाणा	12	157073
6	हिमाचल प्रदेश	140	959
7	जम्मू और कश्मीर	0	2890
8	झारखंड	0	35459
9	कर्नाटक	0	23761
10	केरल	0	13171
11	मध्य प्रदेश	32	23641
12	महाराष्ट्र	2	727019
13	मणिपुर	0	78
14	मेघालय	0	98
15	मिजोरम	0	40
16	नागालैंड	0	65
17	ओडिशा	0	5716
18	पंजाब	0	15025
19	राजस्थान	359	155909
20	तमिलनाडु	2	4187
21	त्रिपुरा	0	5256
22	उत्तर प्रदेश	1	70408
23	उत्तराखंड	0	1367
24	पश्चिम बंगाल	0	20
कुल		**557**	**14,39,060**
घटक खऔर घटक ग के अंतर्गत कुल स्वीकृत			**49,00,000**

अनुलग्नक-II

दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 160 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पीएम-कुसुम योजना के तहत सीएफए

घटक	**उपलब्ध वित्तीय सहायता**
घटक क:	डिस्कॉमों को 40 पैसे/किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपये/मेगावाट/वर्ष, जो भी कम हो, की दर से पाँच वर्षों के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाता है। इस घटक के अंतर्गत कोई सीएफए नहीं है।
घटक ख **घटक ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण)**	• एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा में प्राप्त प्रणालियों की कीमत, जो भी कम हो, का सीएफए प्रदान किया जाता है। • तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% या निविदा में प्राप्त प्रणालियों की कीमतें, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। लाभार्थी द्वारा शेष लागत वहन की जाएगी। • योजना के घटक ख और घटक ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।
घटक ग (फीडर स्तर सौरीकरण)	कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये का सीएफए प्रदान किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सौरीकरण को कैपेक्स या रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है।

*****